

NO 217 नेहरू कॉलोनी बगगी/खाना रातानाडा
हकतर्कनामा



—: हकतर्कनामा :-

हकतर्कनामा एक लिख देते है हम-

- (1)- भंवरसिंह पुत्र स्व. श्री मदनसिंह जी, उम्र 39 वर्ष,
- (2)- कालूसिंह पुत्र स्व. श्री मदनसिंह जी, उम्र 37 वर्ष, जातियान-राजपूत, निवासीगण- 218, नेहरू कॉलोनी, बग्गी खाना, रातानाडा जोधपुर
- (3)- चन्दा कंवर पत्नी श्री आईदानसिंह पुत्री स्व. श्री मदनसिंह उम्र 34 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी के.जी. कॉम्पलेक्स के पीछे, औद्योगिक क्षेत्र, रानी बाजार, बीकानेर (जिन्हें इस दस्तावेज में आगे संयुक्त रूप से प्रथम पक्षकार/ हकतर्ककर्तागण के नाम से संबोधित किया जायेगा), ने

बहक

उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

श्री कैलाशसिंह टाक पुत्र स्व. श्री मदनसिंह जी टाक, उम्र 33 वर्ष, जाति-राजपूत, निवासी- 218, नेहरू कॉलोनी, बग्गी खाना, रातानाडा जोधपुर (जिन्हें इस दस्तावेज में आगे द्वितीय पक्षकार/ हकतर्कगृहिता के नाम से संबोधित किया जायेगा) के हक में निम्न प्रकार से तहरीर व तकमील कर देते है कि :-

Brahm

Kab Singh

चन्दा देवी

Kaulash Singh Tax



8/2

यह है कि हम प्रथम पक्षकार संख्या-1 से 3 के पिता एवं द्वितीय पक्षकार के पिता स्व. श्री मदनसिंह जी सुपुत्र मगसिंह जी के नाम से आवंटन, सुदा, लॉटरी सुदा, एक आवासीय भूखण्ड संख्या- 58 बनाप 178.36 वर्गमीटर, सेक्टर-1 रामराज नगर योजना, ग्राम चौखा तहसील व जिला जोधपुर में आया हुआ है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड रामराज नगर योजना में जरिये लॉटरी दिनांक 02.09.2008 को प्रथम पक्षकार के पिता श्री मदनसिंह के नाम का आवंटन हुआ। तत्पश्चात् कार्यालय नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक यू.आई.टी./एफ-46/आवंटन/08/325 दिनांक 12.09.2008 को मदनसिंह को प्रेषित किया गया जिसमें उक्त वर्णित आवंटन के पश्चात् भूखण्ड की राशि जमा करवाने हेतु मांग पत्र जारी किया गया। उपरोक्त मांग पत्र के अनुसार कार्यालय नगर विकास न्यास, जोधपुर ने रकम 1,74,001/- अक्षरे रुपये एक लाख चौहतर हजार एक मात्र जरिये रसीद क्रमांक 0045911 दिनांक 22.10.2008 को जमा करवाई गई। तत्पश्चात् रामराज नगर में भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर-1 की लीज डीड जारी करने बाबत एक प्रार्थना पत्र जरिये आवक क्रमांक 5723 दिनांक 23.10.2008 के तहत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में प्रस्तुत किया गया जिसकी अग्रिम कार्यवाही आज दिन तक लम्बित है।



यह है कि श्री मदनसिंह टाक का देहान्त दिनांक 27.03.2012 को हो गया है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 12.04.2014 को कार्यालय रजिस्ट्रार, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण, नगर निगम, जोधपुर द्वारा जरिये रजिस्ट्रीकरण संख्या- 312001535/12.04.2012 के तहत जारी किया हुआ है तथा मदनसिंह की धर्मपत्नी श्रीमती भंवरी देवी का भी स्वर्गवास दिनांक 13.01.2011 को हो चुका है। उनके देहान्त के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उनके निम्न वली वारिसान बहैसियत स्वामी संयुक्त रूप से काबिज हुए। स्वर्गीय मदनसिंह की पारिवारिक वंशावली निम्न प्रकार से है :-

मदनसिंह (फौत)

उप. प. जीयक (चतुर्थ)
जोधपुर



| | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| भंवरी देवी (पत्नी-फौत) | भंवरसिंह (पुत्र) | कालूसिंह (पुत्र) | कैलाशसिंह (पुत्र) | चन्दा कंवर (पुत्री) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|

Bingon

Kal Singh

चन्दा देवी

Kulash Singh Tak



42

यह है कि मदनसिंह जी आवंटन सुदा जायदाद के मालिक व स्वामी थे, तथा उक्त जायदाद पर मालिकाना हक व अधिकार मदनसिंह जी का चला आ रहा था, तथा मदनसिंह जी का स्वर्गवास होने के बाद उपरोक्त वली वारिसान जो वंशावली में दर्शाये गये बहैसियत स्वामी काबिज व मालिक हुये व आज दिन तक संयुक्त रूप से मालिक व स्वामी है। उपरोक्त विधिक उत्तराधिकारी एवं वली वारिसान के अलावा अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी नहीं है, अगर हुए तो उसकी समस्त जिम्मेवारी उभय पक्षकारान की होगी।

यह है कि प्रत्येक प्रथम पक्षकार का उपरोक्त जायदाद में पुरतैनी हक हिस्सा, बंट, अधिकार, स्वामित्व प्राप्त है।

यह है कि प्रथम पक्षकार स्व. श्री मदनसिंह के वारिसान क्रमशः पुत्र व पुत्री है व आप द्वितीय पक्षकार स्व. श्री मदनसिंह जी के पुत्र है, जो एक ही परिवार के सदस्य है, तथा इनके आपस में असीम प्राकृतिक प्रेम स्नेह विश्वास है। इसी असीम प्राकृतिक प्रेम व स्नेहवश से वशीभूत होकर इस दस्तावेज में वर्णित जायदाद में प्रथम पक्षकार का जो भी हिस्सा व हक हकूक है, उसे बिना किसी प्रतिफल के आप द्वितीय पक्षकार के हक में हकतर्क करते है। आज से आप द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार के हिस्से में आने वाली जायदाद के मालिक होंगे। आप द्वितीय पक्षकार उक्त जायदाद का बेचान, बेचान इकरार, वसीयत, रहन, गिरवी, दान इत्यादि किसी भी तरीके से मुन्तकिल कर सकेंगे व हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर सकेंगे, नव निर्माण कार्य करवा सकेंगे, बिजली पानी की सुविधाएं अपने नाम से ले सकेंगे, नाम ट्रांसफर करवा सकेंगे, जायदाद को किराये पर दे सकेंगे, तथा उक्त सम्पत्ति की संबंधित विभाग/कार्यालय/स्थानीय निकायो से अपने नाम एक्सचेंज डीड/लीजडीड/पट्टा प्राप्त कर सकेंगे, उसका पंजीयन करवा सकेंगे, जिस बाबत

Bairam

Kalush Singh

चन्दा देवी

Kalush Singh Tak

उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

४२

हम प्रथम पक्षकार और हमारे वली वारिसान को किसी प्रकार का उजर ऐतराज नहीं होगा। अगर उजर ऐतराज करेंगे तो अदालत एवं पंचायत में झूठे पड़ेंगे।

यह है कि इस हकतर्क के बदले में प्रथम पक्षकार ने द्वितीय पक्षकार से प्रतिफल की कोई राशि प्राप्त नहीं की है क्योंकि द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार दोनो एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्वर्गीय मदनसिंह के वारिसान है तथा आपस में रक्त संबंध है। प्रथम पक्षकार अपनी राजी खुशी, अकल होशियारी से अपनी स्वेच्छा से द्वितीय पक्ष को अपना हिस्से की जायदाद हकतर्क कर रहे है।

यह है कि प्रथम पक्षकारान ने इस हकतर्कनामा के जरिये अपने समस्त हक, हकूक, अधिकार जो उपरोक्त वर्णित सम्पति में विद्यमान है जिसे द्वितीय पक्षकार के हक में हकतर्क कर दिये है तथा उपरोक्त जायदाद का कब्जा प्रथम पक्षकार ने आप द्वितीय पक्षकार को सुपुर्द कर दिया है। आज से द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के हिस्से की जायदाद पर तन्हा मालिक व स्वामी हो जायेगें व उक्त हकतर्क की गई जायदाद के संबंध में प्रथम पक्षकारान की आल औलाद, वारिसान व उसके कानूनी प्रतिनिधि का कोई हिस्सा, कब्जा, दखल, अधिकार, उजर, ऐतराज नहीं रहेगा और यदि कोई आपत्ति या उजर करेगा तो वो इस दस्तावेज हकतर्कनामा की रूह से बेअसर व रद्द माना जावेगा। प्रथम पक्षकार ने अपने हक की जायदाद आज द्वितीय पक्ष के हक में तर्क कर दी है।

यह है कि आज दिन पूर्व उक्त जायदाद प्रथम पक्षकार ने किसी ^{उपपक्षीयक (चतुर्थ)} ~~अन्य~~ व्यक्ति अथवा संस्था को बेचान नहीं की है, नही बेचने का इकरार ही किया है, न ही किसी को वसीयत, दान, बख्शीश, आदि प्रकार से हस्तान्तरण किया है, न ही उक्त जायदाद के संबंध में किसी सरकारी गैर सरकारी विभाग में कोई विवाद ही विचाराधीन है न ही किसी न्यायालय में कोई वाद ही विचाराधीन है। उक्त जायदाद पूर्ण रूप से जायदाद पाक व साफ है यानि किसी भी प्रकार से

Bisakh
Lekh Singh

रुन्या देवी

Kaulan Singh



42

आज दिनांक 17 माह November सन् 2014 को 14:50 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHANWAR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MADAN SINGH
उम्र 39 वर्ष, जाति R.RAJPUT व्यवसाय BUSINESS
निवासी 218 NEHRU COLONY RATANADA JODHPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2014005555)
(Release Deed (Ancestral) in 6 close

हस्ताक्षर उप पंजीयक JODHPUR (FORTH)
(Release Deed (Ancestral) in 6 close

रसीद नं० 2014005558 दिनांक 17/11/2014
पंजीयन शुल्क रू० 500/-
प्रतिलिपि शुल्क रू० 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/-
अन्य शुल्क रू० 10/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू० 0/-
कुल योग रू० 710/-

(2014005555) उप पंजीयक, JODHPUR (FORTH)
(Release Deed (Ancestral) in 6 close relation)

जोधपुर



हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1-BHANWAR SINGH /MADAN SINGH
Age:39, Caste-R.RAJPUT
Ocu.-BUSINESS
R/O-218 NEHRU COLONY RATANADA JODHPUR

Bhanwar



2-KALU SINGH /MADAN SINGH
Age:37, Caste-RAJPUT
Ocu.-BUSINESS
R/O-NEHRU COLONY RATANADA JODHPUR

Kalu Singh



3-CHANDA KANWAR/MADAN SINGH
Age:34, Caste-RAJPUT
Ocu.-H/W
R/O-NEHRU COLONY RATANADA JODHPUR

चन्दा देवी



भारग्रस्त नहीं है। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को उक्त जायदाद पाक व साफ स्वामित्व के हस्तान्तरण किया है।


लिहाजा यह हकतर्कनामा प्रथम पक्षकारान ने अपनी राजी खुशी, अकल होशियारी से बिना किसी नशे-पते के, बिना किसी जोर-दबाव के सही व दुरुस्ती की हालत में सोच समझ कर अपनी स्वेच्छा से अपनी सगी माता के पक्ष में लिख दिया है जो सही व सनद रहे वक्त जरूरत के काम आवे।

इति तारीख :- 17.11.2014

Rakesh Singh

रजनी देवी

Rakesh Singh



Rakesh Singh



हकतर्कगृहिता



हकतर्ककर्तागण

साख :-1

मैं, राम-चन्द पुत्र श्री लक्ष्मण राम
जाति जाट उम्र 35 वर्ष, निवासी एफ-1/7, वेस्ट फ्लैट
नगर, साइट हाऊस रोड, जोधपुर में
रहने वाले ने अपनी साख डाली है।


रामचन्द



साख :-2

मैं, हरि राम पुत्र श्री लक्ष्मण राम
जाति जाट उम्र 35 वर्ष, निवासी साइट हाऊस रोड, जोधपुर
साइट हाऊस रोड, जोधपुर में
रहने वाले ने अपनी साख डाली है।

Hariram



८

उपस्थितक (चतुर्थ)
जोधपुर

48

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

ने लेख्यपत्र Release Deed (Ancestral) in 6 close relation को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री RAM CHANDRA
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAXMAN RAM उम्र 34 वर्ष
जाति JAT व्यवसाय BUSINESS
निवासी WEST PATEL NAGAR RATANADA JODHPUR

2. श्री/श्रीमती/सुश्री BHAGWAN SINGH
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र 0 वर्ष
जाति व्यवसाय ADV
निवासी RHC JODHPUR ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2014005555) उप पंजीयक, JODHPUR (FORTH)
(Release Deed (Ancestral) in 6 close relation) (चतुर्थ)
जोधपुर

आज दिनांक 17/11/2014 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 139
में पृष्ठ संख्या 29 क्रम संख्या 2014004165 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 553
के पृष्ठ संख्या 301 से 310 पर
चस्पा किया गया।

(2014005555) उप पंजीयक, JODHPUR (FORTH)
(Release Deed (Ancestral) in 6 close relation)
जोधपुर

